>

Title: Alleged irregularities in the purchase of ambulances under National Rural Health Mission in Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश भर में जो घोटालों की गूंज सुनाई दे रही है, उसके संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो एनआरएचएम के तहत स्कीम चलती हैं, उसमें जो समय-समय पर घोटाले होते रहते हैं। यूपी और अन्य राज्यों के भी घोटाले आपने सुने हैं, हमारे राजस्थान में भी एनआरएचएम के तहत घोटाला घटित हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए जो हुआ है उसमें तीन एंगल हैं। एक तो टर्म ऑफ रैफरेंस इस तरह से डिजाइन किये गये कि एक विशेष कंपनी को ही उसका ठेका मिला। दूसरा एंगल यह है कि इसमें बिल बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए हैं। जितनी पेमेंट होनी चाहिए थी उससे 10 गुना, 20 गुना तथा कई जगह तो सौ गुना ज्यादा पेमेंट की गई है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एनआरएचएम के जो राज्य के वित्तीय निदेशक हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जिन्होंने आडिट की है, उन्होंने यह आरोप लगाया है। एनआरएचएम स्कीम भारत सरकार की है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।

तीसरा एंगल नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। जिस कम्पनी को ठेका दिया गया है, वह कम्पनी पाकिस्तान के आईएसआई ओर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। मेरा कहना है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध तथा पानी का पानी होना चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि एनआरएचएम स्कीम में इतना घोटाला क्यों हो रहा है।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं अपने को श्री मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।